



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072021-228472
CG-DL-E-26072021-228472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2738]
No. 2738]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2021/श्रावण 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2021/SHRAVANA 4, 1943

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2021

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20A के अंतर्गत

का.आ. 2944(अ).—रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20A की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना अर्थात् झारसुगुडा - बिलासपुर चौथी लाइन परियोजना (झारसुगुडा जिला) के ओडिशा राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा अधिकरण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा घ की उपधारा (१) के अधीन, पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के सम्बन्ध पर आक्षेप कर सकेगा; ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि तहसीलदार झारसुगुडा, ओडिशा को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या आननुज्ञात कर सकेगा उक्त अधिनियम की धारा २०घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य व्यौरा उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में झारसुगुडा - बिलासपुर चौथी लाइन - विशेष रेल परियोजना अर्थात्, झारसुगुडा से बिलासपुर (झारसुगुडा जिला) के लिए अधिकरण किये जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला: झारसुगुडा

तहसील: झारसुगुडा

ग्राम: सिंगभागा

खाता क्र.	प्लॉट क्र.	रकबा एकड़ में
1	1039/1506	0.35
1	1059/1508	3.40
245/70	1059	1.18

जिला: झारसुगुडा

तहसील: झारसुगुडा

ग्राम: ब्रजराजनगर टाउन यूनिट - 1

खाता क्र.	प्लॉट क्र.	रकबा एकड़ में
1	1130 (P)	2.72

[फा. सं. DCE/C/BRJN@BSP/MISC-232]

आरएन सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2021

Under Section 20A of the Railways Act 1989

S.O. 2944(E).— In exercise of Power conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989 (24 of 89) (hereafter referred as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway project, namely Jharsuguda – Bilaspur 4th line in the state of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land; Any person in the said land may, within the period of 30days for the date of publication of this notice in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section 20D of the said act;

Every objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahsildar-Jharsuguda, Odisha in writing, and shall set out ground thereof and the competent Authority shall give the objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections; Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other detail of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely Jharsuguda – Bilaspur 4th line (for Jharsuguda District) in the State of Odisha.

Name of District : Jharsuguda

Name of Tahsil: Jharsuguda

Village :Singhbaga

Khata No.	Plot No.	Area in Acre
1	1039/1506	0.35
1	1059/1508	3.40
245/70	1059	1.18

Name of District : Jharsuguda

Name of Tahsil: Jharsuguda

Village :Brajrajnagar Town Unit - 1

Khata No.	Plot No.	Area in Acre
1	1130 (P)	2.72

[F. No. DCE/C/BRJN@BSP/MISC-232]

R.N. SUNKAR, Chief Administrative Officer (Construction)